कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 10-05-2024

विषयः- कमिश्नरेट वाराणसी में मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आगमन/भ्रमण/अवस्थान कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल एवं जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा निर्धारित स्थानों/मार्गों का किया गया निरीक्षण।

- **पुलिस आयुक्त ने जिलाधिकारी संग बीएचयू से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक किया पैदल भ्रमण**
- **भ्रमण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश**

आज दिनांक 10-05-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी श्री एस0 राजलिंगम के साथ मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रस्तावित कमिश्नरेट वाराणसी आगमन/भ्रमण/अवस्थान कार्यक्रम के दृष्टिगत निर्धारित स्थानों/मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

तदोपरान्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा दिनांक 11.05.2024 को कमिश्नरेट वाराणसी में मा0 गृहमंत्री भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 के प्रस्तावित आगमन/भ्रमण/अवस्थान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस अधिकारियों एवं बाह्य जनपद से आये पुलिस अधिकारीगणों को ब्रीफ किया गया। उक्त ब्रीफिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, समस्त अपर पुलिस उपायुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ब्रीफिंग के दौरान **मा0 महानुभावों के सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं** के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये। जो निम्नवत है-

- **सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं के लिए दिये गये निर्देश**
- **संवेदनशील स्थानों पर लगाई जाये रूफ टॉप ड्यूटी**
- **भीड़ नियंत्रण हेतु हो रस्सों का प्रयोग**
- **महत्वपूर्ण स्थानों पर हो समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था**

1. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थलों/मार्गो पर चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
2. निर्देशित किया कि महानुभावों के मूवमेंट के दौरान आमजनता को कोई दिक्कत न हो। किसी तरह का कोई यातायात बाधित न हो।
3. भीड़ नियंत्रण के लिए मार्ग की गलियों में पुलिसकर्मी रस्से का उपयोग करेंगें।
4. महानुभावों के भ्रमण मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उनकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाए।
5. ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का तभी प्रयोग करें जब अतिआवश्यक हो। मोबाइल चैटिंग व अन्य गतिविधि नहीं करेंगे।
6. संवेदनशील स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटी लगायी जाए।
7. महानुभावों के मार्ग पर पड़ने वाले पुलिया, ट्रासफार्मर, पेट्रोलपम्प आदि को समय से चेक करा लिया जाए।
8. महत्वपूर्ण स्थानों पर समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाए।
9. ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मचारीगणों को मौके पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा ब्रीफ किया जाए।
10. मार्ग व्यवस्था में नियुक्त थाना प्रभारी/अधिकारीगण अपने-अपने वाहनों में लाउड हेलर व पी.ए. सिस्टम की व्यवस्था रखेंगें।
11. महानुभावों के कार्यक्रम/मार्ग पर ड्रोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

12. भीड़ नियंत्रण हेतु अतिरिक्त पुलिस बल रस्सों के साथ रिजर्व में रखे जाए।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।